आवश्यक

संख्या: 66/2021/2078/12-2-2021-60(51)/2018

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, नैफेड, नैफेड हाउस, सिद्धार्थ इन्क्लेव, रिंग रोड, आश्रम चौक, नई दिल्ली- **110014**
2. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
5. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ,
7. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, लखनऊ,
7. निदेशक, उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ,
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ,
9. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0यू0 (यू0पी0 कोआपरेटिव यूनियन लि0), लखनऊ,

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2021

विषय:- **उत्तर प्रदेश राज्य में प्राइस सपोर्ट स्कीम (पी0एस0एस0) के तहत खरीफ 2021-22 सीजन में मूंग, उर्द, तिल, तथा, मूंगफली की खरीद पी0एस0एस0 गाइडलाइन्स 2018 के तहत किया जाना।**

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्राइस सपोर्ट स्कीम (पी0एस0एस0) के तहत खरीफ 2021-22 सीजन में अधिकतम 4,000 मीट्रिक टन मूंग, 64,000 मीट्रिक टन उर्द, 18,000 मीट्रिक टन तिल, तथा, 28,000 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद पी0एस0एस0 गाइडलाइन्स 2018 के तहत किए जाने पर भारत सरकार की सहमति, सहायक आयुक्त (एमपीएस), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के पत्रांक एल-15016/87/2021-एम0पी0एस0(102862), दिनॉक 28 सितंबर, 2021 (प्रति संलग्न) तथा पत्रांक एल-15016/90/2021-एम0पी0एस0(एफ0टी0एस0-103020), दिनॉक 04 अक्टूबर, 2021 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रदान की गई है।

2- उत्तर प्रदेश राज्य में प्राइस सपोर्ट स्कीम (पी0एस0एस0) के तहत खरीफ 2021-22 सीजन में फसलों की खरीद किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संख्या:2049/12-2-2021, दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 (प्रति संलग्न) में निर्देश दिए गए हैं।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्राइस सपोर्ट स्कीम (पी0एस0एस0) के तहत खरीफ 2021-22 सीजन में मूंग, उर्द, तिल, तथा, मूंगफली की खरीद पी0एस0एस0 गाइडलाइन्स 2018 के तहत किए जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

I. उत्तर प्रदेश में मूंग, उर्द, तिल, तथा, मूंगफली का प्रोक्योरमेंट (खरीद) दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 08 जनवरी, 2022 (90 दिन) तक की जाएगी,

II. उत्तर प्रदेश में खरीफ 2021 में दलहन एवं तिलहन की खरीद पी0सी0एफ0 तथा यू0पी0पी0सी0यू0 के माध्यम से की जाएगी।

III. खरीद के लिए पी0सी0एफ0 तथा यू0पी0पी0सी0यू0 प्रत्येक को 12.50 करोड रूपये की धनराशि उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाए, जो खरीद बढ़ने पर यथावस्था अनुसार बढ़ाई जायेगी,

IV. खरीद हेतु क्रय केन्द्र पी0सी0एफ0 तथा यू0पी0पी0सी0यू0 के माध्यम से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में बनाए जाएगें, यथासम्भव, यह क्रय केन्द्र मण्डी, उप मण्डी अथवा एग्री मार्केटिंग हब में खोले जाएं,

V. नेफैड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) द्वारा खरीद का विवरण एन0ई0एम0एल0 (NEML) के पोर्टल पर रखा जाए, तथा, पोर्टल पर कृषकों के रजिस्ट्रेशन के समय जैसा कि महाराष्ट्र राज्य में हो रहा है, कृषक की खतौनी का विवरण तहसील से सत्यापित किया जाए, तथा, खतौनी के साथ ही यथासम्भव कृषक के खसरे का विवरण भी पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

VI. कृषक का पंजीकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाएगा, जिसमें कृषक की फसल का नाम, आधार नम्बर, बैंक अकाउण्ट नम्बर, मोबाइल नम्बर, तथा, अन्य सुसंगत अभिलेख पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, तथा, राजस्व विभाग द्वारा फसल का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा,

VII. कृषकों का धनराशि का भुगतान सीधे उनके बैंक अकाउण्ट में,आर0टी0जी0 एस0/ एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से किया जाएगा,

VIII. प्राइस सपोर्ट स्कीम (पी0एस0एस0) के तहत कृषकों से फसलों का क्रय किए जाने हेतु, भारत सरकार की नोडल एजेंसी नेफैड को, प्रदेश स्तर पर नामित क्रय एजेंसियों यू0पी0पी0सी0एफ0, तथा, यू0पी0पी0सी0यू0 द्वारा जनपद स्तर पर खोले गई क्रय एजेंसी का पता, अधिकृत व्यक्ति का मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराया जाएगा,

IX. राज्य सरकार की क्रय एजेंसियों- यू0पी0पी0सी0एफ0, तथा, यू0पी0पी0सी0यू0 द्वारा सी0डब्ल्यू0सी0/एस0डब्ल्यू0सी0 गोदामों, बोरों, तथा, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी,

X. नेफैड द्वारा राज्य सरकार की क्रय एजेंसियों को समय-सीमा के अन्दर प्रत्येक दशा में धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी,

XI. कृषकों में जागरूकता के लिए प्रेस नोट/समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जाएं।

<u>संलग्नक:यथोक्त।</u>

भवदीय

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 66/2021/2078(1)/12-2-2021-60(51)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,

2- सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,

3- सहायक आयुक्त (एमपीएस), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,

4- शाखा प्रबन्धक, नेफैड, लखनऊ,

5- उप निदेशक (श्री सौरभ यादव), खाद्य एवं रसद विभाग (आयुक्त कार्यालय), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in